रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2690] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 16, 2019/श्रावण 25, 1941
No. 2690] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 16, 2019/SHRAVANA 25, 1941

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2019

नरेला में गोदामों/गोदाम समूहों के लिए वसूली योग्य बाहरी विकास प्रभारों (ई.डी.सी.) का संशोधन।

का.आ. 2952(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए का.आ.सं. 1237 (अ), दिनांक 8 मार्च, 2019 द्वारा अधिसूचित दरों के आंशिक संशोधन में, नरेला में गोदामों/गोदाम समूहों के स्वामियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके विद्यमान गोदामों को नियमित करने हेतु कदम उठाने के लिए प्लॉट के क्षेत्रफल के आधार पर 875/- रु. प्रति वर्ग मी. की दर से बाहरी विकास प्रभार (ई.डी.सी.) की कम की गई दरों को एतद्द्वारा अधिसूचित करता है।

इन प्रभारों की अनुप्रयोज्यता हेतु विंडो अवधि इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से दो वर्ष होगी। अधिसूचना का.आ.सं. 1237(अ) दिनांक 8 मार्च, 2019 में यथा-उल्लिखित अन्य निबंधन एवं शर्तें समान रहेंगी।

[फा. सं. एफ.5(10)2019/एओ(पी)/डीडीए]

डी.सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2019

Revision of External Development Charges (EDC) leviable for Godowns/Godown Clusters in Narela.

S.O. 2952(E).—In exercise of the powers conferred under Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), Delhi Development Authority with the prior approval of the Central Government, in partial modification of the rates notified vide S.O. No. 1237(E) dated 8th March, 2019, hereby notifies the reduced rates of External Development Charges (EDC) @ Rs 875/- per sqm. on plot area basis for the owners of Godowns/godown clusters in Narela in order to incentivize them to take steps to get their existing godowns regularized.

The window period for applicability of these charges shall be two years from the date of issue of this notification. Other terms and conditions as mentioned in the notification vide S.O. No. 1237(E) dated 8th March, 2019 shall remain the same.

[F. No. F.5(10)2019/AO(P)/DDA]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.08.16 19:41:03 +05'30'